उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

मूल्यांकण वाद सं0- 01/2016

राज्य द्वारा मुंद्रिका देवी–बनाम–जीतन शर्मा एवं तारा देवी

आदेश

08.10.21

यह वाद आवेदिका श्रीमती मुंद्रिका देवी के आवेदन दिनांक 06.11.2015 के आधार पर प्रारम्भ की गई जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता श्री जीतन शर्मा (अब मृत) पिता स्व. खीरू शर्मा साकिन दरवेडीह, थाना–धनवार, जिला गिरिडीह द्वारा श्रीमती तारा देवी पति बासुदेव राणा साकिन दरवेडीह, थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह को निबंधित दस्तावेज संख्या 2798 दिनांक 01.12.2014 द्वारा निम्न वर्णित भूमि विक्रय किया गया है–

कमांक	मौजा	थाना/थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
1	2	3	4	5	6
1	दरवेडीह	धनवार–183	11	540	7डी.
2	दरवेडीह	धनवार–183	25	604	4.75डी.
3	दरवेडीह	धनवार–183	25	627	4डी.
4	दरवेडीह	धनवार–183	2	506	6डी.
5	सिरमनडीह	धनवार–186	2	569	3.5डी.
					25.25डी.

उक्त विक्रय पत्र में वादगत भूमि को टांड़/खेत दर्शाया गया है जबकि उक्त भूमि में मकान भी बना हुआ है तथा निबंधन शुल्क आवासीय और मकान का होना चाहिए था जिसे केता द्वारा छुपाकर कर–वंचना की गई है।

उक्त के आधार पर वाद को पंजीकृत करते हुए विपक्षियों को नोटिस निर्गत करते हुए उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई एवं अवर निबंधक, धनवार एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह से प्रतिवेदन की मांग की गई ।

कई नोटिस और अंतिम चेतावनी नोटिस के उपरांत भी विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए एवं आवेदिका द्वारा यह सूचित किया गया कि एक विपक्षी विक्रेता जीतन शर्मा की मृत्यु हो गई है परन्तु जीतन शर्मा के Substitute हेतु भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं अन्य विपक्षी तारा देवी की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण आज की तिथि तक अप्राप्त है। तद्नुसार वाद को निर्णयार्थ रखा गया।

अवर निबंधक, धनवार के पत्रांक 25 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदिका के आवेदन में वर्णित तथ्य सही एवं सत्य है। उनके द्वारा केताओं को नोटिस भी दिया गया परन्तु केताओं द्वारा कारणपृच्छा दायर नहीं की गई।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह के पत्रांक 1180 दिनांक 14.10.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि के खाता नं. 11 प्लॉट नं. 540 पर मकान निर्मित है एवं उसका अवमुल्यन के उपरांत वर्तमान में मूल्य 17,00,702.50 होता है।

जिला निबंधक का कार्यालय, गिरिडीह के आदेश सं. 4/2014 दिनांक 18.10.2014 द्वारा यह सूचित किया गया है कि यदि किसी प्लॉट पर मकान बना है और यदि वह कितना भी छोटा हो न्यूनतम 8डी. भूमि का वर्गीकरण आवासीय के आधार पर करते हुए मकान का भी मुद्रांक शुल्क देय होगा। इस वाद में भूमि 7डी. ही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवं अभिलेख एवं अन्य कागजात के विश्लेशण के आधार पर निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं –

1. यह कि विपक्षी द्वारा लगातार उपस्थित नहीं रहना तथा न तो इस न्यायालय में कारण पुच्छा दायर करना और न ही अवर निबंधक, धनवार के समक्ष कारण पृच्छा दायर करना उनके Malafide Intention को दर्शाता है।
2. यह कि अवर निबंधक, धनवार एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मौजा दरवेडीह खाता नं. 11 प्लॉट नं. 540 पर मकान बना है एवं उसका मूल्य अवमूल्यन के उपरांत 1700702.50 or 1700702.00 आंकी गई है जो तकनीकि दृष्टिकोण से सही है।
3. यह कि विक्रेता जीतन शर्मा एवं क्रेता तारा देवी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए मुद्रांक शुल्क की वंचना की गई है।
4. यह कि विक्रेता जीतन शर्मा की चूंकि मृत्यु हो गई है।
5. यह कि निबंधन में कर का भुगतान क्रेता द्वारा की जाती है।
6. यह कि क्रेता तारा देवी से 1700702.50 or 1700702.00 रूपये मूल्य के संरचना का मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क तथा 7डी. भूमि का आवासीय दर पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क के अन्तर राशि प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में कर–वंचना का अन्यथाकरण नहीं किया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(A) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में क्रेता श्रीमती तारा देवी पति बासुदेव राणा साकिन दरवेडीह, थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि वे अवर निबंधक, धनवार से वादगत भूमि में से खाता नं. 11 प्लॉट नं. 540 रकवा 7डी. का उस समय के आवासीय दर पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की गणना कराते हुए अन्तर राशि एवं वादगत भूमि पर निर्मित संरचना का

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा आंकी गई मूल्य 1700702.50 or 1700702.00 रूपये की राशि के उस समय देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, दोनों का भुगतान आदेश पारित होने की तिथि के 90 दिनों के अन्दर अवर निबंधक, धनवार को करना सुनिश्चित करें अन्यथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 के तहत् केता के चल सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति को राज्यसात करते हुए नीलाम कर अन्तर शुल्क की राशि की वसूली करने की कार्रवाई की जायेगी।

वाद कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

सभी संबंधित को आदेश से अवगत करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.10.24 23:04:55 +05:30
Location: 192.168.208.138